न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 21 / 2024

1 ताराचन्द पुत्र हनुमानप्रसाद उम्र 70 साल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 24 धोबीघाट खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र रामेश्वर
2 छोगाराम पुत्र रामेश्वर
3 ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर
4 आनन्दीलाल पुत्र रामेश्वर
समस्त जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 धोबीघाट खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.।
5 श्रीमती कृष्णा पुत्री रामेश्वर पत्नी प्रभूराम नवीरा घड़सी निवासी वार्ड नम्बर 1 खेतड़ी हाल निवासी सैनी मार्केट के पीछे बबाई तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना।
6 श्रीमती गोमती पुत्री रामेश्वर पत्नी जगदीश प्रसाद सैनी नवीरा घड़सी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 खेतड़ी हाल निवासी सैनी मोहल्ला कोटपुतली जिला कोटपुतली।
7 नर्बदा पुत्री रामेश्वर पत्नी स्व. भानजी नवीरा घड़सी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 खेतड़ी हाल निवासी बावड़ी की ढाणी बबाई तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना।
8 श्रीमती रतना देवी पुत्री रामेश्वर पत्नी लालचन्द नवीरा घड़सी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 खेतड़ी हाल निवासी सैनी मोहल्ला कोटपुतली जिला कोटपुतली।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 श्रीमती ललिता पुत्री रामेश्वर पत्नी बहादुरमल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 खेतड़ी हाल निवासी चर्च के पीछे, गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना।

10 श्रीमती शकुन्तला पुत्री रामेश्वर पत्नी श्री ताराचन्द जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 खेतड़ी हाल निवासी आदर्श विद्या मन्दिर के पास गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना।

11 श्रीमती सन्तोष पुत्री रामेश्वर पत्नी राधेश्याम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 खेतड़ी हाल निवासी वार्ड नम्बर 30 मोती नगर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

12 श्रीमती सुशीला पुत्री रामेश्वर पत्नी गोकल सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 खेतड़ी हाल निवासी प्लॉट नम्बर 11 ग्रीन पार्क, राज होटल के पास ज्योति नगर दादी का फ़ाटक के पास जयपुर जिला जयपुर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 विरूद्ध
आदेश दिनांक 22.11.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
आर.टी.एक्ट बमुकदमा उनवानी मोहनलाल आदि बनाम
ताराचन्द मु.नं. 96/2023.

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

–निर्णय–

दिनांकः– 6.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 96/2023 में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 12 ने एक प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि गत खसरा नम्बर 1266 हाल खसरा नम्बर 2480 वको ग्राम खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायाधीश खेतड़ी के समक्ष एक वाद ताराचन्द बनाम मोहनलाल आदि दावा संख्या 90/2022 एवं प्रार्थना पत्र उनवानी ताराचन्द बनाम मोहनलाल आदि बमुकदमा नम्बर 76/2022 पेश किया गया था जिसमें मामले के रेस्पोडेन्ट भी पक्षकार थे उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 31.10.2022 को रेस्पोडेन्टस को वादग्रस्त कृषि भूमि के विक्रय एवं बेचान करने से पाबन्द किया हुआ है। इसके बाद रेस्पोडेन्टस ने आपस में कोल्युजन करके दिनांक 22.11.2023 को विचारण न्यायालय के समक्ष एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर दिया। जबकि रेस्पोडेन्ट को सम्पूर्ण जानकारी थी कि उनके पूर्वज द्वारा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वर्ष 1995 में पूर्व अपीलान्ट को जरिये ईकरारनामा बेचान कर दी गई थी एवं वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है। अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला मानकर सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि विक्रय नहीं करने बाबत रेस्पोडेन्टस को पाबन्द किया है। रेस्पोडेन्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड्स के साथ वाद पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 22.11.2023 निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक एफ.आई.आर. संख्या 133/2023 पुलिस थाना मेहाड़ा में जरिये इस्तगासा दर्ज करवाई जिसमें अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा पटवारी हल्का खेतड़ी से मौके की रिपोर्ट तलब की गई जिस पर पटवारी के द्वारा पर्चा मौके की रिपोर्ट तलब की गई जिस पर पटवारी हल्का के द्वारा पर्चा मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें पटवारी हल्का ने दिनांक 03.08.2023 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में भूमि खसरा नम्बर 2480 रकबा 0.71 हैक्टेयर के संबंध में मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट पेश की कि खसरा नम्बर 2480 रकबा 0.71 हैक्टेयर भूमि पिछले लगभग 26–27 वर्ष से ताराचन्द पुत्र हनुमान जाति माली निवासी खेतड़ी एवं उसके परिवार (पुत्र आदि) द्वारा काश्त की जा रही है। वर्तमान में भी खसरा नम्बर 2480 रकबा 0.71 हैक्टेयर भूमि उक्त ताराचन्द पुत्र हनुमान प्रसाद जाति माली एवं उसके परिवार (पुत्र आदि) के ही कब्जे काश्त में है। उक्त रिपोर्ट के बाद पुलिस थाना खेतड़ी द्वारा मामले में अनुसंधान कर एफ.आर. प्रस्तुत की है। उक्त तथ्य रेस्पोडेन्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा ना ही उक्त वाद के साथ फौजदारी प्रकरण के कोई दस्तावेज संलग्न किये। रेस्पोडेन्टस ने जानबूझकर पटवारी हल्का खेतड़ी की रिपोर्ट ओन के बाद आपस में कोल्युजन करके विचारण न्यायालय से उक्त गलत आदेश पारित करवाया है। इसलिए उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। सिविल न्यायालय द्वारा आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला मानकर ही वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट को बेचान/विक्रय करने से पाबन्द किया है। अब विचारण न्यायालय आदेश दिनांक 22.11.2023 की आड़ में रेस्पोडेन्टस मौके पर जाकर अपीलान्ट के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करेंगे तो आपस में झगड़ा होगा एवं लिटीगेशन बढेंगे तथा अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना कतई सम्भव नहीं होगा। जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। धारा 212 का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। इस स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अपीलांट को स्थगन से पाबंद किया है। धारा 212 का अंतिम निर्णय बाद सुनवाई विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को पाबंद किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर ताफैसला आवेदन धारा 212 उभयपक्ष को विवादित भूमि खसरा नम्बर 2480 वाके ग्राम खेतड़ी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाकर प्रकरण बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर